भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 908
जिसका उत्तर मंगलवार 07 फरवरी, 2017 को दिया जाना है

फेम इंडिया योजना

908. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री राहुल शेवाले:
डॉ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च कीमत उनकी लोकप्रियता में बाधा उत्पन्न करने वाला एक कारक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने फेम इंडिया योजना को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्री से विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु अनुसंधान और विकास हेतु 200 प्रतिशत प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फेम इंडिया-देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्रता से अपनाना और विनिर्माण करना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबीलिटी मिशन योजना का एक भाग है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस योजना ने चालू वर्ष से शुरू होने वाले प्रथम दो वित्तीय वर्षों में 795 करोड़ रुपये की सहायता की अभिकल्पना की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च): राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 (एनईएमएमपी-2020) ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत को संभावित बाधाकारी कारकों में से एक कारक माना है। तद्नुसार, मांग प्रोत्साहनों को 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ फेम इंडिया स्कीम में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और विनिर्माण संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वयन के लिए फेम इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के ध्यान देने योग्य चार क्षेत्र हैं अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्ज करने संबंधी बुनियादी अवसंरचना। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर प्रोत्साहन समेत स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [www.dhi.nic.in] पर उपलब्ध है।

फेम इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का एक भाग है। स्कीम का चरण-I ₹795 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय से 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर दो वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कार्यान्वित किया जा रहा है। ₹75 करोड़ की प्रारंभिक राशि वित्त वर्ष 2015-16 में आबंटित की गई थी और ₹122.90 करोड़ चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए हैं।

भारी उद्योग विभाग ने वित्त मंत्रालय से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु 200 प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का अनुरोध नहीं किया है।

****